

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2965 / 2023 दिनांक 06.10.2023

श्रीमती योगिता पारीक (RJ00646), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चुरू को दिनांक 28.08.2023 से 06.09.2023 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 26.08.2023 से 27.08.2023 एवं 07.09.2023 व 09.09.2023 से 10.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों एवं 08.09.2023 स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती पारीक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चुरू के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) / 14 / 2011 / 6415

दिनांक : 06.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू को उनके पत्रांक 6806 दिनांक 12.09.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती योगिता पारीक (RJ00646), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चुरू
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चुरू।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू ।


सहायक रजिस्ट्रार 6415